न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमाः– राजस्व प्रार्थना–पत्र/08/2016

नजीर खां बनाम वाइद अली खां आदि

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक – 22.01.2018

प्रार्थी कि ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अं. धा. 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि उक्त प्रापत्र उनवान समशीर्षक वाद भी न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त दावे के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात तथा दावे व प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के आधार पर तथा पुष्टि में प्रस्तूत प्रार्थी के शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है, जिसमें प्रार्थी की सफलता सुनिश्चित है। यह कि यह कि आराजी खसरा नम्बर 56/2 रकबा 2.02 हेक्टेयर तन ग्राम यालसर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर में अवस्थित आराजी है जिसके पूर्व में खसरा नम्बर 56 था। जिसे आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ही मुस्लिम परिवार के सदस्य है। यह कि वादग्रस्त आराजी पूर्व के खसरा नम्बर 56 तन ग्राम यालसर की आराजी जिसके वर्तमान में खसरा नम्बर 56/1, 56/2 हो गये जिसमें खसरा नम्बर 56/2 रकबा 8 बीघा पुख्ता यानि (रकबा 2.02 हेक्टेयर) है भूमि खसरा नम्बर में से 1/2 हिस्सा रकबा 1.01 हेक्टेयर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता वाजिद खां की खातेदारी व कब्जे, काश्त की होने के आधार पर आराजी पैतृक वंशानुगत की कृशि काश्त की आराजी है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने के समय ही आराजी में रकबा 4 बीघा पुख्ता भूमि भाग प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के पिता वाजिद खां के नाम व काबिज रहे है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 समभाग पर काबिज, खातेदार काश्तकार रहे व 4 बीघा भूमि करीम खां के नाम जो भंवरू खां के दर्ज हुई है तथा भंवरू खां ने अप्रार्थी संख्या 2 को बेचान कर दी इस तरह से आराजी पैतृक वंशानुगत की आराजी होने के बावजूद कालांतर में संवत् 2012 से 2019 तक वाजिद खां के नाम रही व इसके पश्चात् आराजी की खातेदारी जरिये नामांतरकरण संख्या 126 के द्वारा संवत् 2020 से 2023 में खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम गलत रूप से रकबा 4 बीघा (1.01 हेक्टेयर) भूमि भाग की दर्ज कर दी गयी जो पूर्णतया गलत है तथा प्रार्थी को अपने हक हिस्से से वंचित रखा गया जो प्रार्थी के हक अधिकारों के समक्ष कतई अकृत, शून्य व प्रभावहीन होने से निरस्तनीय है। आराजी की खातेदारी जो 4 बीघा पुख्ता (1.01 हेक्टेयर) भूमि वाजिद खां जो प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता है के नाम होने व पैतृक कब्जे, काश्त होने के कारण प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व शेष 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज की जाने की उद्घोषणा फरमाई जानी आवश्यक है तथा वर्तमान खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम को इसके 1/2 हिस्सा भूमि भाग की हद तक निरस्त घोषित फरमाई जावें। यह कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 56/2 रकबा 2.02 हेक्टेयर में से रकबा 1.01 हेक्टेयर भूमि भाग अप्रार्थी संख्या 1 के नाम अकेले के गलत रूप से दर्ज हो जाने का नाजायज रूप से फायदा उठाने की कुचेष्ठा अप्रार्थी संख्या 1 कर रहा है तथा आराजी में प्रार्थी के कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग भी दखंलदाजी पैदा करने करवाने को आमादा है इसलिये अप्रार्थी संख्या को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें कि वे प्रार्थी के एकांतिक कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभाग में किसी प्रकार की दखंलदाजी पैदा नहीं करें तथा आराजी को रहन, विक्रय अन्तरण करने करवाने से तादौराने दावा बाज रहे। यह कि वादग्रस्त आराजी के पैतृक वंशानुगत की होने के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी को प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम समान रूप से दर्ज की जाने की उद्घोशणा फरमायी जानी आव यक है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज खातेदारी बिना किसी आधार के गलत रूप से दर्ज कर दी को अपने 1/2 हिस्सा से अधिक की निरस्त घोशित फरमायी जावें। यह कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी रकबा 1.01 हेक्टेयर में से 1/2 हिस्सा भूमि भाग की खातेदारी दर्ज करवाये जाने का अधिकारी है होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र प्रथम दृश्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवम् अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित होने से प्रार्थी का वाद पूर्णतया सबल है इस कारण प्रार्थी अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाये जाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 56/2 रकबा 2.02 हेक्टेयर तन ग्राम यालसर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर में से रकबा 1.01 हेक्टेयर आराजी में प्रार्थी के एकांतिक कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग में किसर प्रकार की दखंलदाजी पैदा नहीं करें एवम् अपने नाम गलत खातेदारी के आधार पर आराजी का रहन, विक्रय अन्तरण करने से करवाने से तादौराने दावा बाज रहे एवम् मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी सं. 1/प्रतिवादी सं. 1 कि ओर से उनके अभिभाषक हाजिर आये। उक्त प्रार्थना–पत्र का वकील अप्रार्थी सं. 1/प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा

Web Copy - Not Official

जबाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। साथ ही अपने पक्ष में जवाब के साथ सूची दस्तावेजात पेश किये। बहस उभय पक्ष से सुनी गई। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। वादी/प्रार्थी कि ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अं. धा. 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का व अप्रार्थी सं. 1/प्रति. सं. 1 के वकील कि ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र के जवाब का अवलोकन किया गया। जिसमें अप्रार्थी सं. 1/प्रति. सं. 1 के अधिवक्ता कि ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित किया है कि यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तूत प्रार्थना पत्र व दावे के साथ संलग्न दस्तावेज व प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के आधार पर तथा पुष्टि में प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं हो रहा है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तूत दस्तावेजों के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 को सुविधा का सन्तुलन हो रहा है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज ख0 नं0 मुताबिक जमाबन्दी के स्वीकार है। शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में उल्लेखित सजरा खानदान गलत है अतः अस्वीकार है प्रार्थी द्वारा गलत वंशावली प्रस्तूत की है तथा पक्षकारों का असंयोजन के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थी द्वारा मद संख्या 4 में गलत तथ्यों का वर्णन किया है वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 56 की खातेदारी जरिये रजिस्ट्री बेचान से खाता वाहिद अली खां पुत्र वाजिद खां जाति कायमखानी के नाम स्वीकार हुई उक्त विक्रय पत्र उप पंजीयक लक्ष्मणगढ़ के यहां जिल्द संख्या 10 पृष्ठ संख्या 201 से 202 क्रम संख्या 44 पर दिनांक 23–02–1968 पर दर्ज है जिसके आधार पर खातेदारी वाहिद अली खां पुत्र वाजिद खां के नाम दर्ज हुई उक्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की पैत्रिक सम्पति होने का कथन प्रार्थी द्वारा झूंठा गलत एवं तथ्यों को छिपाकर पेश किया गया है जिसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। गलत तथ्यों के आधार पर, प्रार्थना पत्र पेश होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा यह कथन कि वो कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग में दखलदांजी पैदा करने का कथन गलत है क्योंकि पूर्व में ख0 नं0 56 में से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा रकबा 4 बीघा पुख्ता का विक्रय पत्र द्वारा दिलसुखा पुत्र तेजा जाति जाट निवासी ग्राम यालसर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर से क्रय की थी जिसके आधार पर खाता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हुआ। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पति है। उक्त वादग्रस्त आराजी स्वअर्जित सम्पति होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 को पूर्ण अधिकार है वो उसका उपयोग उपभोग करें विक्रय स्थानान्तरण करें। इस हेतु प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने का अधिकारी नहीं है। बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को प्रतिबन्धित करवाने का अधिकारी है कि वो अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा पैदा नहीं करें। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा कोई खातेदारी उदघोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि वादग्रस्त आराजियात में रकबा 4 बीघा पुख्ता की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। जो सही दर्ज है तथा अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पति है जिसमें प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नहीं बनता है। गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा झूंठा प्रार्थना पत्र प्रस्तूत किया गया है। जो खारिज किये जाने योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 गलत है अतः अस्वीकार है। प्रार्थी के पक्ष में कोई सुविधा का सन्तुलन, प्रथम दृश्ट्या मामला अपूरणीय क्षति प्रार्थी को नहीं होकर अप्रार्थी संख्या 1 को होती है प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय भापथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना हर्जे–खर्चे सहित खारिज कर अप्रार्थी संख्या 1 को अन्य न्यायोचित सहायता दिलवायी जाने की कृपा करें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र से संबंधित मूल दावे का भी अवलोकन किया गया। साथ ही पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों व दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी ख.सं. 56 की खातेदारी जरिये रजिस्ट्री बेचान से खाता अप्रार्थी सं. 1 वाहिद अली खां पुत्र वाजिद के नाम स्वीकार हुई उक्त विक्रय पत्र की प्रति दस्तावेजात के रूप में अप्रार्थी सं. 1 ने पेश की है। जिससे अप्रार्थी सं. 1 के नाम उक्त आराजी की खातेदारी नाम होने से वादी/प्रार्थी की स्थाई निषेधाज्ञा की मांग का पक्ष सबल नहीं है। जिससे यह साबित हो कि प्रार्थी/वादी के पक्ष में वादग्रस्त आराजी के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सके। सारतः प्रार्थी के पक्ष में कोई सुविधा का सन्तुलन, प्रथम दृष्ट्या मामला अपूरणीय क्षति प्रार्थी को नहीं होकर अप्रार्थी संख्या 1 को होती है प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अं. धा. 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साबित नहीं होने व विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.01.2018 को निर्णय सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official